

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

In the matter of:

Jagat Singh

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondent

REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GAUTAM  
BUDDHA NAGAR

I, Manish Kumar Verma, aged about 40 years, S/o M.P. Verma, presently posted as District Magistrate, Gautam Buddha Nagar do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit.
2. That the above-noted matter came up for hearing on 03.07.2024, when this Hon'ble Tribunal directed the Answering Respondent to file its reply to the Original Application.
3. That the present case is regarding illegal crushing of stones and storage of coarse sand at Khasra Nos. 202/2, 374, 376, 783 and 484 in Village Asgarpur Gautambuddha Nagar and at Khasra Nos. 1/2 and 2/2 of Village Chak Basantpur in Noida region.



4. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 23.04.2024, while noting that the averments made in the Original Application raise substantial question relating to environment, arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010, constituted a Joint Committee of representatives of Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Gautam Budh Nagar.
5. That in compliance of above-mentioned orders of this Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Gautam Buddha Nagar constituted a Committee under the Chairmanship of Additional District Magistrate (Finance/Revenue) on 09.05.2024 to investigate the concerns raised by the Applicant and take appropriate action under the provisions of law.
6. That the site inspection for carrying out the anti-encroachment drive and sealing was done by the committee on 24.06.2024. The machinery used for crushing of stones in said area is mostly mobile in nature and no permanent plant machinery or labor were found on site at the time of inspection, but processed material was available in bulk. Accordingly, the single-entry point used for movement of heavy vehicles and transportation of material was sealed by



the Committee and was handed over to concerned SHO, Sector 126 and concerned officer of the revenue department. Site inspection report, along with findings, is annexed as *Annexure I* of the present Reply.

7. That in view of findings on site, the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar has addressed a letter to Police Commissioner, Gautam Buddha Nagar, Sub-Divisional Magistrate, Dadri, Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Gautam Buddha Nagar, District Mining Officer, Gautam Buddha Nagar, Irrigation Department, New Okhla Industrial Development Authority and Uttar Pradesh Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar to take necessary action under the provisions of law.
8. That the said site was again visited by the team of U.P. Pollution Control Board and Mining Department at around midnight on 27.06.2024. At the time of inspection, Shri Bhupendra Singh, Sub-inspector was found on duty and the seal was found intact. No activity was found in the area which was sealed on 24.06.2024 at the time of inspection.
9. That in compliance of directions issued by the Respondent, District Mining Officer, vide his letter dated 09.08.2024 has informed that survey has been completed in the said area. As per survey assessment, illegal storage of 412 cubic meter stone dust and 1852 cubic meter sand stone has been identified on site. Also, case has been registered against Shri



Satveer Singh, S/o Late Jai Singh in the court of Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddha Nagar on 09.08.2024 for initiating further action in the said matter. Copy of letter dated 09.08.2024 is annexed as *Annexure II* of the present Reply.

10. That the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board has also addressed a letter dated 16.08.2024 to Police Commissioner, Gautam Buddha Nagar for identifying the defaulters and initiating necessary action against them as per law. It has also been requested that details of defaulters be shared with the State Board for initiating necessary action under the provisions of environmental laws. Copy of said letter dated 16.08.2024 is annexed as *Annexure III* of the present Reply.

11. That on 16.08.2024, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board has also addressed a letter to Director, U.P. Ground Water Department for initiating necessary action and imposition of fine against defaulters as per law. Copy of said letter dated 16.08.2024 is annexed as *Annexure IV* of the response.



12. That vide letter dated 16.08.2024, addressed to the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board has also requested the Director, Geology and Mining, Uttar Pradesh, for carrying out survey and assessment and initiating necessary action as per law

against those engaged in illegal crushing/mining at said site. Copy of said letter dated 16.08.2024 is annexed as *Annexure V* of the response.

13. That the State Board, taking note of the names of persons mentioned in the letter, which has led to the institution of the present Original Application, has also issued show cause notices to the said individuals on 17.08.2024, asking them to show cause as to why environmental compensation to the tune of Rs. 5000/- per day, for the last five years, should not be imposed on them for engaging in alleged illegal operation of stone crushers. Copy of said show cause notice is annexed as *Annexure VI* of the response.



14. That it is humbly prayed that the present Reply may kindly be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 20th DAY OF AUGUST, 2024 AT NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR.

**ATTESTED**

Rajpal Singh Nagar  
Notary Public Noida  
Gautambudh Nagar (U.P.)

21 AUG 2024

DEPONENT

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा गठित कमेटी की स्थलीय निरीक्षण आख्या व कृत कार्यवाही का विवरण।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0 110/एल-193/2024 दिनांक 09.05.2024 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2024 एवं दिनांक 12.06.2024 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं पुलिस आयुक्त (मुख्यालय), गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्र सं0 116/ख0अनु0-2024/दिनांक 18.06.2024 के क्रम में दिनांक 24.06.2024 की प्रातः 05:30 बजे संयुक्त समिति द्वारा ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर निरीक्षण व कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित विभागों के निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्रीमती चारूल यादव, उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्ध नगर।
2. डा0 अजय कुमार, तहसीलदार, सदर, गौतमबुद्ध नगर।
3. श्री प्रतीत सिंह, नायब तहसीलदार, दादरी, गौतमबुद्ध नगर।
4. श्री मनोज दुबे, लेखपाल, ग्राम असगरपुर, नोएडा।
5. श्री मनवीर भाटी, लेखपाल, ग्राम चकबसन्तपुर, नोएडा।
6. श्री उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
7. श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
8. श्री किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
9. श्री पूर्णादित्य प्रताप सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
10. श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
11. श्री कमलेश कुमार, अवर अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
12. श्री देवेश कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
13. श्री अतुल कुमार, जिलेदार, सिचाई विभाग।
14. श्री सुभाष चन्द्र, सीचपाल, सिचाई विभाग।
15. श्री भूपेन्द्र सिंह बालियान, एस0एच0ओ0, थाना सेक्टर-126, नोएडा।
16. श्री पंकज सहरावत, सब-इंस्पेक्टर, पुलिस चौकी, सेक्टर-126, नोएडा।
17. श्री दिनेश कुमार सिंह, सब-इंस्पेक्टर, पुलिस चौकी, सेक्टर-126, नोएडा।
18. अन्य पुलिस बल।



निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिकायती पत्र में उल्लिखित ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर की उक्त भूमि एक ही स्थल पर है, जो आपस में मिली हुई है। जिस स्थल पर कार्य किया जा रहा है वह कृषि भूमि है एवं यमुना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर जाने हेतु मार्ग पर लोहे के पाईपों से तैयार अवैध रूप से की गयी बैरिकेटिंग की गयी है जिसे ताले के माध्यम से बन्द किया गया था व खोलने हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय मेटेरियल लाने व ले जाने वाले वाहनो का आवागमन हेतु इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। समिति द्वारा ताले को तोड़ कर स्थल में प्रवेश किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बडी मात्रा में

भण्डारित पायी गयी व जल दोहन हेतु बोरवेल भी स्थापित पाये गये। निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी तथा कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये गये। निरीक्षण के दौरान संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लेते हुये परिसर को जाने वाले बैरिकेटिंग गेट को सील किया गया व निर्णय लिया गया कि भण्डारित पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर का सर्वे एवं मापन कर उक्त पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही जिला खनन अधिकारी द्वारा सम्पादित करते हुये आख्या जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित की जायेगी।

शिकायत में ग्राम चकबसन्तपुर एवं ग्राम असगरपुर के वर्णित खसरा संख्या तथा मौके पर पाये गये खसरा संख्या के भूस्वामियों का चिन्हीकरण करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही राजस्व विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। निरीक्षण के समय स्थल पर पाये गये बोरवेल को चिन्हित कर उनको सील एवं अनावश्यक कार्यवाही उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। पुस्ता की बाउण्ड्री को विभिन्न स्थलों पर तोड़ कर डूब क्षेत्र में प्रवेश किये जाने हेतु मार्ग बना लिये गये है, अवैध मार्गों को चिन्हित कर उन्हे बन्द कराये जाने की कार्यवाही सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। निरीक्षण के दौरान परिसर को जाने वाले रास्ते में स्थापित गेट को सील की निगरानी पुलिस विभाग एवं क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा की जायेगी, जिससे किसी तरह से मैटेरियल को हटाया न जा सके। सुपुर्दगी पत्र आख्या के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि उक्त स्थल अतिरिक्त सेक्टर 94 नोएडा के अन्तर्गत ग्राम नौरंगाबाद खादर के डूब क्षेत्र में भी उक्त कार्य किया जा रहा है। तत्क्रम में संयुक्त समिति द्वारा उक्त स्थल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बडी मात्रा में भण्डारित पायी गयी तथा निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी व कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये गये। तत्क्रम में ग्राम नौरंगाबाद खादर के डूब क्षेत्र में भी उपरोक्तानुसार विभागावार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(भूपेन्द्र सिंह बालियान)  
एस0एच0ओ0,  
थाना सेक्टर-126, नोएडा

  
(कुलदीप सिंह)  
सहायक अभियन्ता,  
सिचाई विभाग,  
गौतमबुद्ध नगर

  
(उत्कृष्ट त्रिपाठी)  
जिला खनन अधिकारी,  
गौतमबुद्ध नगर

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
नोएडा।

  
(प्रतीक सिंह)  
नायब तहसीलदार, दादरी,  
गौतमबुद्ध नगर

  
(डा0 अजय कुमार)  
तहसीलदार, सदर,  
गौतमबुद्ध नगर।

  
(चारुल यादव)  
उपजिलाधिकारी, सदर,  
गौतमबुद्ध नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर  
(खनन अनुभाग)

पत्रांक २१७ /ख०अनु०/अवैध खनन/2023-24

दिनांक: ०९/०८/२०२४

सेवा में,


जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- आदेश दिनांक 24.06.2024 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 257/एल-193/24 दिनांक 24.06.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम चकबसन्तपुर में अवैध रूप से भण्डारित पाये गये मैटेरियल का मापन/सर्वे किया गया। जाँच के दौरान अवैध रूप से भण्डारित 412 घ०मी० स्टोन डस्ट व 1852 घ०मी० सैण्ड स्टोन पाया गया।

अतः ग्राम चकबसन्तपुर में श्री सतवीर सिंह पुत्र स्व० जयसिंह निवासी ग्राम दल्लुपुरा थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज के विरुद्ध कार्यालय पत्र संख्या-211/ख०अनु०/गौतमबुद्धनगर दिनांक-07.08.2024 द्वारा मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के समक्ष दिनांक-09.08.2024 को अग्रिम कार्यवाही के लिए आदेश करने हेतु परिवाद दाखिल कराया गया है।



खान अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

संख्या व दिनांकित

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

खान अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर



100  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1860 (81114)

10/8/24  
DCP (H O)

संदर्भ संख्या: H.15900./सी-1/N.G.T-244/2024

दिनांक: 16/08/2024 RO PCB/16/24

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,  
सेक्टर-108, नोएडा,  
गौतमबुद्ध नगर-201304

कृ० नियमानुसार आवश्यक  
कार्यवाही करें

जिलाधिकारी  
गौतमबुद्धनगर

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण मुख्यतः यमुना पुस्ते के ग्राम असगरपुर में अवैध रूप से पत्थरों की पिसाई, खनन एवं भूगर्भ जल दोहन से सम्बन्धित है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के अनुपालनार्थ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन विभाग, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, सिंचाई विभाग तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.08.2024 को किया गया व क्षेत्र में सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त कार्यवाही की आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 28.06.2024 को दाखिल की गयी है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

"....8. It is also said in the report dated 28.06.204 that District Magistrate, Gautam Budh Nagar has issued various directions vide letter dated 24.06.204 to Police Commissioner, Gautam Budh Nagar, Sub Divisional Magistrate, Sadar and Dadri, District Gautam Budh Nagar, Executive Engineer, U.P, Ground Water Department District Gautam Budh Nagar, District Mining Officer, Gautam Budh Nagar and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Budh Nagar. It is also said that in the course of inspection, seven bore-wells were found operating which have been sealed and electric connections have been disconnected.

9. However, we do not find that any criminal action has been taken against persons engaged in above illegal activities and no steps have been taken to impose and recover environmental compensation by UPPCB, though admittedly, illegal activities of mining, stone crushing and extraction of ground water have been found.

10. It is also surprising that none of the respondents 1 to 4, impleaded by Tribunal, to whom notices were issued, have chosen to submit any reply though it is a serious matter.

11. In these facts and circumstances, we grant three weeks further time to said respondents to file their reply, failing which, they shall appear in person before this Tribunal on the next date.

12. Member Secretary, UPPCB shall also show cause as to why no criminal action has been taken against defaulter/violators and also no action for imposition environmental compensation has been taken, by submitting a detailed reply by next date...."

उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में मा० अधिकरण में प्रेषित शिकायत, जिसमें जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जा रहा है, उनकी जांच कर नाम व पता मग थाना से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.08.2024 को नियत है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

sk

(संजीव कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण पर समयबद्ध रूप से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही संबंधी आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Sr. CLERK, UPPCB  
कृ० नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

sk

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-4

संदर्भ संख्या: H.15.899/सी-1/N.G.T.-244/2024

दिनांक: 16/08/2024

सेवा में,

निदेशक,  
भूगर्भ जल विभाग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

**विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण मुख्यतः यमुना पुस्तों के ग्राम असगरपुर में अवैध रूप से पत्थरों की पिसाई, खनन एवं भूगर्भ जल दोहन से सम्बन्धित है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के अनुपालनार्थ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन विभाग, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, सिचाई विभाग तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.06.2024 को किया गया व क्षेत्र में सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त कार्यवाही की आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 28.06.2024 को दाखिल की गयी है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:—

".....8. It is also said in the report dated 28.06.2024 that District Magistrate, Gautam Budh Nagar has issued various directions vide letter dated 24.06.2024 to Police Commissioner, Gautam Budh Nagar, Sub Divisional Magistrate, Sadar and Dadri, District Gautam Budh Nagar, Executive Engineer, U.P., Ground Water Department District Gautam Budh Nagar, District Mining Officer, Gautam Budh Nagar and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Budh Nagar. It is also said that in the course of inspection, seven bore-wells were found operating which have been sealed and electric connections have been disconnected.

9. However, we do not find that any criminal action has been taken against persons engaged in above illegal activities and no steps have been taken to impose and recover environmental compensation by UPPCB, though admittedly, illegal activities of mining, stone crushing and extraction of ground water have been found.

10. It is also surprising that none of the respondents 1 to 4, impleaded by Tribunal, to whom notices were issued, have chosen to submit any reply though it is a serious matter.

11. In these facts and circumstances, we grant three weeks further time to said respondents to file their reply, failing which, they shall appear in person before this Tribunal on the next date.

12. Member Secretary, UPPCB shall also show cause as to why no criminal action has been taken against defaulter/violators and also no action for imposition environmental compensation has been taken, by submitting a detailed reply by next date...."

उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में अवैध रूप से हो रहे भूगर्भ जल दोहन के दृष्टिगत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही/जुर्माना अधिरोपण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.08.2024 को नियत है।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

sk  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुभाग-3, उ.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण पर समयबद्ध रूप से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही संबंधी आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

sk  
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-5

संदर्भ संख्या: H 15898/सी-1/...N.G.T...244/2024

दिनांक: 16/08/2024

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

**विषय:—**मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित दिनांक 03.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण मुख्यतः यमुना पुस्ते के ग्राम असगरपुर में अवैध रूप से पत्थरों की पिसाई, खनन एवं भूगर्भ जल दोहन से सम्बन्धित है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के अनुपालनार्थ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन विभाग, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, सिचाई विभाग तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.06.2024 को किया गया व क्षेत्र में सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त कार्यवाही की आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 28.06.2024 को दाखिल की गयी है।

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"...8. It is also said in the report dated 28.06.204 that District Magistrate, Gautam Budh Nagar has issued various directions vide letter dated 24.06.204 to Police Commissioner, Gautam Budh Nagar, Sub Divisional Magistrate, Sadar and Dadri, District Gautam Budh Nagar, Executive Engineer, U.P, Ground Water Department District Gautam Budh Nagar, District Mining Officer, Gautam Budh Nagar and Executive Engineer, Irrigation Department, Gautam Budh Nagar. It is also said that in the course of inspection, seven bore-wells were found operating which have been sealed and electric connections have been disconnected.

9. However, we do not find that any criminal action has been taken against persons engaged in above illegal activities and no steps have been taken to impose and recover environmental compensation by UPPCB, though admittedly, illegal activities of mining, stone crushing and extraction of ground water have been found.

10. It is also surprising that none of the respondents 1 to 4, impleaded by Tribunal, to whom notices were issued, have chosen to submit any reply though it is a serious matter.

11. In these facts and circumstances, we grant three weeks further time to said respondents to file their reply, failing which, they shall appear in person before this Tribunal on the next date.

12. Member Secretary, UPPCB shall also show cause as to why no criminal action has been taken against defaulter/violators and also no action for imposition environmental compensation has been taken, by submitting a detailed reply by next date...."

उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में अवैध रूप से पत्थरों की पिसाई/खनन एवं खनिज भण्डारण के दृष्टिगत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही/जुर्माना अधिरोपण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.08.2024 को नियत है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

( संजीव कुमार सिंह )  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण पर समयबद्ध रूप से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही संबंधी आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 15903/C-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0न0/2024 Date: 17.08.2024

सेवा में,

पंजीकृत

1. श्री कृष्णपाल व श्री विजयपाल व जय किशन पुत्र श्री चेताराम व श्री चेताराम पुत्र अमीचन्द्र, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-128, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
2. श्री मिथुन व श्री सधिन पुत्र श्री कृष्णपाल, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-128, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
3. श्री गिरीराज पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-128, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
4. श्री महावीर पुत्र श्री परमाल निवासी जलपुरा, थाना ईकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
5. श्री ललित गौगीया पुत्र श्री किशन चन्द्र, निवासी 289, प्रथम तल, जागृति इनक्लेव, शकरपुर, नई दिल्ली।
6. श्री जतिन पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 8/25, गीता कालोनी, दिल्ली, नई दिल्ली।
7. श्री हेमन्त पुत्र श्री पूरन, निवासी 8/25, गांधी नगर, नई दिल्ली।
8. श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी 8/32, फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
9. श्री राज अरोडा पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी 8/32, फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
10. श्रीमती अनामिका गौगीया पत्नी श्री ललित गौगीया, निवासी 289, प्रथम तल, जागृति इनक्लेव, भाकरपुर, नई दिल्ली।
11. श्री संदीप महेश्वरी पुत्र श्री छगनलाल निवासी एच0एन0 3बी0 हवेलिया, न्यू पानी की टंकी रोड़, भाकरपुर, बिरुवरी, गुवहाटी, असम।
12. श्री आशुष पुत्र श्री अशोक, निवासी मैन रोड़, जिला जौरहार, असम।
13. श्री सुभाष पुत्र श्री राम चरण, निवासी घोडी बछेडा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध स्टोन क्रेशर चलवाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0 110/एल-193/2024 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 24.06.2024 को ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर निरीक्षण व कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिकायती पत्र में उल्लिखित ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर की उक्त भूमि एक ही स्थल पर है, जो आपस में मिली हुई है। जिस स्थल पर कार्य किया जा रहा है वह कृषि भूमि है एवं यमुना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर जाने हेतु मार्ग पर लोहे के पाईपों से तैयार अवैध रूप से की गयी बैरिकेटिंग की गयी है जिसे ताले के माध्यम से बन्द किया गया था व खोलने हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय मैटेरियल लाने व ले जाने वाले वाहनो का आवागमन हेतु इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। समिति द्वारा ताले को तोड़ कर स्थल में प्रवेश किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बडी मात्रा में भण्डारित पायी गयी व जल दोहन हेतु बोरवेल भी स्थापित पाये गये। निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी तथा कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये गये।

निरीक्षण उपरान्त संयुक्त समिति की आख्या पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर व दादरी को कार्य स्थल के खसरो के स्वामियों को चिन्हित कराकर नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं0 256/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित किये जा रहे व पत्थर पिसाई इत्यादि कार्यों को रोकने हेतु सम्बन्धित थाना अध्यक्ष को निर्देशित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 255/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, निरीक्षण के दौरान भण्डारित पायी गयी मैटेरियल के मापन व सर्वे कराकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु

.....2/-

जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को कार्यालय के पत्र सं० 257/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, पुस्त दीवार/बाउण्ड्री को तोड़ कर अवैध रूप से बनाये गये रास्तों को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं० 258/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया व अवैध रूप से स्थापित पाये गये बोरबेलों को सील किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं० 258/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में भूगर्भ जल विभाग द्वारा 10 बोरबेलों को सील किया गया है।

जिला खान अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रेषित आख्या पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि खनन विभाग व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से किये गये मापन/सर्वे में 412 घनमीटर स्टोन डस्ट व 1852 घनमीटर सैंड डस्ट क्षेत्र में भण्डारित है।

यद्यपि निरीक्षण के समय स्थल पर कोई व्यक्ति अथवा प्लान्ट मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी, परन्तु जिला खान अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक 09.08.2024 से स्पष्ट है कि यमुना पुस्ते के ग्राम चकबसन्तपुर एवं असगरपुर में अवैध रूप से पत्थर की पिसाई एवं खनन का कार्य पूर्व में किया गया है। आवेदक द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर आवेदन एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 में अवैध स्टोन क्रेशर चलवाये जाने वाले उपरोक्त आरोपियों के नाम व पता उल्लिखित हैं।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा० अधिकरण में प्रेषित शिकायत में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन्स के अनुसार रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष की समयावधि को आधार मानते हुये प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?”

उपरोक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

संलग्नक-क्षेत्रीय अधिकारी से प्राप्त आख्या दिनांक 17.08.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,


  
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ok

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ok